

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 3(1)साप्र/2/2023 पार्ट-3

-: आदेश :-

जयपुर, दिनांक : 25/04/2023

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी तृतीय श्रेणी की दरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है:-

क्र.सं.	दरियता संख्या	नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित राजकीय आवास
1.	473/2013	श्री राकेश कुमार जाटव नर्सिंग अधिकारी, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.07.2034	III/61, गांधीनगर
2.	190-A/2016	श्री रितेश मोदी प्रतियेदक राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर	31.05.2043	III/4, गांधीनगर
3.	191/2016	श्री मनीष कुमार मीणा सहायक अभियन्ता कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, भू-जल विभाग, जयपुर	31.07.2047	III/7, गांधीनगर
4.	192/2016	श्रीमती रीनु शारदा व्याख्याता शहीद ले.अभय पारीक रा.भा.उ.मा.विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर	28.02.2036	III/बी/2, बहुनजिला गांधीनगर
5.	197/2016	सुश्री गीता बिलोनिया, वरिष्ठ प्रदर्शक बायो कैमिस्ट्री, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.12.2050	III/8, गांधीनगर
6.	200/2016	भारती हरजवानी Senior Accounts Officer, Department of Local Bodies (DLB), Jaipur, जयपुर	31.05.2038	III/28, गांधीनगर
7.	201/2016	श्रीमती चन्द्र जेसवानी, निजी सहायक, निदेशालय, महिला अधिकारिता विभाग, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर	31.10.2035	III/30, गांधीनगर
8.	205/2016	श्री वृजलाल जाटव सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग जयपुर	30.09.2028	III/38, गांधीनगर
9.	217/2016	श्री घनश्याम सिंह राजपूत स्कूल व्याख्याता पु.ह.रा.उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिरसी, जयपुर	31.7.2042	III/40, गांधीनगर
10.	218/2016	डॉ० प्रीति यादव स्पेशल ऑडिट अधिकारी सहकारी समितियां, जयपुर शहर, जयपुर	30.06.2039	III/44, गांधीनगर
11.	219/2016	श्री राधाकिशन जाट सहायक लेखाधिकारी द्वितीय निदेशालय नागरिक विमानन विभाग एयरपोर्ट जयपुर	31.01.2027	III/48, गांधीनगर
12.	221/2016	श्री संजय कुमार गौरा सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान	31.07.2050	III/64, गांधीनगर
13.	1 ए/2017	श्रीमती शिवानी अग्रवाल सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग जयपुर	31.12.2035	III/58, गांधीनगर
14.	3/2017	श्री भुवनेश कुलदीप	30.8.2006	III/58, गांधीनगर

Signature Valid

Digitally signed by Shobha Kishnani
Designation: Special Secretary To
Government, Jaipur
Date: 2023.04.25 14:27:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3706891



		सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर		
15.	5/2017	श्रीमती प्रियंका कुमारी बायोकेमिस्ट सवाई मानसिंह चिकित्सालय एवं महाविद्यालय जयपुर।	30.9.2048	III/68, गांधीनगर
16.	9/2017	श्री सर्वोत्तम कुमार पारीक प्रोग्रामर राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद शिक्षा संकुल जयपुर।	31.7.2031	III/69, गांधीनगर
17.	13/2017	श्रीमती ज्योति बाला जैन व्याख्याता शिक्षा विभाग, जयपुर।	30.4.2039	III/72, गांधीनगर
18.	21/2017	डॉ० सुनीता मीणा वरिष्ठ प्रदर्शक पैथोलोजी सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.9.2048	III/76, गांधीनगर
19.	31/2017	श्री सुधीर कुमार प्रवक्ता, तकनीकी शिक्षा राज० रामचन्द्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय	31.1.2035	III/84, गांधीनगर
20.	33/2017	डॉ० विनीता गुप्ता चिकित्सा अधिकारी गणगौरी बाजार चिकित्सालय, जयपुर	30.04.2028	III/92, गांधीनगर
21.	34/2017	श्री प्रेमसिंह नर्स ग्रेड द्वितीय सर पदमपत मातृ चिकित्सालय जयपुर	30.08.2038	III/93, गांधीनगर
22.	38/2017	डॉ. सतोन्ध नाथ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथिक), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर	31.7.2037	III/94, गांधीनगर
23.	39/2017	डॉ. श्रीमती नीतू पारीक कृषि अधिकारी कृषि विभाग, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान जयपुर	30.9.2042	III/95, गांधीनगर
24.	40/2017	डा. संजय खान चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अस्थिरोग विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्य लय जयपुर	31.7.2044	III/96, गांधीनगर
25.	41/2017	डा. गोपाल सिंह बोचल्या सहायक आयुक्त, पंचायती राज आहरण एवं वितरण अधिकारी पंचायती राज विभाग जयपुर	31.7.2040	III/99, गांधीनगर
26.	48/2017	श्री शिव कुमार मीना सांख्यिकी अधिकारी आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय आयोजना विभाग जयपुर	28.2.2026	III/99, गांधीनगर
27.	49/2017	श्रीमती दिव्यांक त्यागी सहायक अभियंता जन. स्वा. अभि. विभाग क्षेत्र प्रथम जयपुर	31.1.2052	III/101, गांधीनगर
28.	52/2017	श्री संत राम नर्सिंग ट्यूटर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	30.11.2031	III/ए/8, बहुमंजिला गांधीनगर
29.	58/2017	श्री सुनील कुमार शर्मा	31.12.2026	III/ए/8, बहुमंजिला गांधीनगर

Signature valid

Digitally signed by Sushy Kishnani
Designation: Special Secretary To
Government of Rajasthan, जिला गांधीनगर
Date: 2023.04.24:27:23 IST
Reason: Approved

		वरिष्ठ रेडियोग्राफर सवाई मान सिंह चिकित्सालय जयपुर		
30.	62/2017	श्री हनुमान सिंह कुडी नर्स ग्रेड -द्वितीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर	30.11.2041	III/ए/13, बहुमंजिला गांधीनगर
31.	63/2017	श्रीमती प्रियंका लकवाल सीपीडीओ महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर	31.8.2041	III/ए/16, बहुमंजिला गांधीनगर
32.	75/2017	डॉ. रतनलाल रेंजीडेंट डाक्टर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.7.2045	III/ए/19, बहुमंजिला गांधीनगर
33.	77/2017	डॉ. सुनीता कुमावत एपीआरओ राजकीय प्रयोगशाला, जयपुर	30.4.2036	III/बी/4, बहुमंजिला गांधीनगर
34.	80/2017	श्री राजेन्द्र सिंह एमएन-II सवाई मान सिंह चिकित्सालय जयपुर	28.2.2031	III/बी/13, बहुमंजिला गांधीनगर
35.	82/2017	श्रीमती सुनीता मतला एमएन-II सवाई मान सिंह चिकित्सालय जयपुर	31.5.2043	III/सी/9, बहुमंजिला गांधीनगर
36.	83/2017	श्री लक्ष्मण सिंह एमएन-II सवाई मान सिंह चिकित्सालय जयपुर	31.5.2040	III/सी/11, बहुमंजिला गांधीनगर
37.	88/2017	बाबू सिंह चौहान सहायक शासन सचिव कार्मिक (ख-3/सुरक्षा) विभाग, सचिवालय, जयपुर	30.6.2033	III/सी/14, बहुमंजिला गांधीनगर
38.	93/2017	श्री संजय कुमार वरिष्ठ विधि अधिकारी महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर	31.10.2039	III/सी/16, बहुमंजिला गांधीनगर
39.	94/2017	श्री सायर कुमार कुमावत एमएन-II जे.के.लॉन जयपुर	30.9.2043	III/सी/18, बहुमंजिला गांधीनगर
40.	96/2017	श्रीमती रितु अग्रवाल प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर	31.7.2041	III/सी/17, बहुमंजिला गांधीनगर
41.	97/2017	श्री गजराज मीणा एमएन-II चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर	30.6.2041	III/डी/19, बहुमंजिला गांधीनगर

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसार आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अध्या आवंटन/उत्तराधिकार के लिये आवंटन की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति के पश्चात् उन्हें प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकसद अस्थायी आवास प्रदान करना है।

Signature valid
Digitally signed by Shashy Kishanani
Designation: Special Secretary To
Government
Date: 2023.04.25 14:27:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3706891



7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिराषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
1. आवेदन प्रस्तुत करने के परघात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. क्रम सं 4 एवं 20-41 के आवंटियों से कॉमन छुविषा शुल्क के पेटे राशि रूपसे 225/- (अब्बरे दो सौ पच्चीस रूपसे मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. हर सहाय मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Sushy Kishnani
Designation: Special Secretary To
Government
Date: 2023.04.25 14:27:23 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

RajKaj Ref No. : 3706891



1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-4/2) विभाग/संयुक्त शासन सचिव, पित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर/संयुक्त शासन सचिव, विधि विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
3. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
5. निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
6. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने का सुनिश्चित करावे।
7. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
8. निदेशक(माध्यमिक), शिक्षा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
9. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
10. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
11. उप सचिव, राज0 विधानसभा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
12. अति0 मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), भूजल विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
13. प्राचार्य, शाहीद ले0 अमय पारीक, रामाजमा विद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
14. निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
15. अति0 मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
16. अति0 मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
17. प्राचार्य, पु.ह.रा. राज0 उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिरसी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
18. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
19. निदेशक, राज0 प्रारंभिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
20. प्राचार्य, राज. रामचन्द्र खेतान, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
21. अधीक्षक, गणगौरी बाजार चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
22. अधीक्षक, जेके लॉन चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
23. निदेशक(राजपत्रित एवं अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
24. प्राचार्य, राजकीय प्रयोगशाला, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
25. प्रमारी अधिकारी, संस्थापन, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, कृषि विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
26. निदेशक, संपदा विभाग, संपदा निदेशालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटन के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
27. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावे।
28. सहायक शासन सचिव सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
29. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड- तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
30. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
31. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
32. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर चौकी जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावे साथ ही आवंटन के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
33. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय, जयपुर को सम्मलयाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेगे साथ ही कब्जा प्राप्त करने की सूचना इस विभाग को प्रेषित करेगे।।
34. रक्षित पत्रायली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Shashi Kishnani
Designation: Special Secretary To
Government
Date: 2023.04.28 14:27:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3706891

